न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 दौसा, जिला दौसा
पीठासीन अधिकारी– सीमा करोल, आर.जे.एस.
(UID No. RJ00828)

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या– 806/2016
सीआईएस संख्या–1424/2020
सीएनआर संख्या–RJDS020018852016

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, प्रथम, दौसा, जिला दौसा, राजस्थान ।

बनाम

1. बाबूलाल उर्फ रामबाबू पुत्र जौहरीलाल, उम्र 67 साल,
2. हरिमोहन पुत्र जौहरीलाल, उम्र 64 साल,
3. मनीष कुमार पुत्र बाबूलाल उर्फ रामबाबू, उम्र 33 साल,
4. महेन्द्र पुत्र बाबूलाल उर्फ रामबाबू, उम्र 45 साल,
5. संतोष उर्फ सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल उर्फ रामबाबू, उम्र 45 साल,
   निवासीगण कालाखो, पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा

–अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 147, 323, 324, 149 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः–
01. विद्वान अभियोजन अधिकारी, प्रथम, राज्य की ओर से।
02. श्री अभिनन्दन गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25/03/2026

1. अभियुक्तगण कैलाश व अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत अपराध धारा 143, 323, 341, 324 भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 14/06/2016 को थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर दौसा द्वारा इस न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा के समक्ष पेश किया गया, उक्त प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय दौसा के आदेश क्रमांकः स्था./2026/29 दिनांक 15.01.2026 द्वारा इस न्यायालय को सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिसका एतद् द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी महेश कुमार ने दिनांक 24/05/2016 को थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर दौसा के समक्ष उपस्थित होकर लिखित तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी थी कि "दिनांक 23/05/2016 को प्रार्थी अपने माता पिता के घर बैठा हुआ था, सांयकाल लगभग 4.00 बजे बाबूलाल उर्फ रामबाबू, संतोष, हरिमोहन, महेन्द्र, मनीष, बिन्नु, विष्णु और अन्य 4–5 लोग हाथों में लाठी व कुल्हाड़ी लेकर घर में घुस आये और आते ही महेन्द्र ने पिताजी के सरिये की मारी जिससे उनका हाथ टूट गया। जैसे ही प्रार्थी बीच बचाव करने आया हरिमोहन ने प्रार्थी के सरिए की पसलियों में मारी तथा प्रार्थी की माता ओमदेवी को संतोष ने बाल पकडकर खेंच कर नीचे गिरा दिया तथा संतोष, बिन्नू वगैरह ने प्रार्थी व उसकी माता के पीठ पर लाठियों से भारी जब

हम लोग चिल्लाए तो हमारी आवाज सुनकर पास के मकान से सोनू, रतन भाग कर आये और बाबूलाल ने सोनू के सिर में कुल्हाड़ी से मारी और महेन्द्र ने सरिए से रतन का सिर फोड़ दिया और प्रार्थी के विष्णु ने भी लाठी की मारी जिससे प्रार्थी के दांये हाथ की अंगुली टूट गई। जब हम लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे तो पडोस से रामभरोसी मीना और उम्मेदसिंह गुर्जर भाग कर आए तथा अन्य लोग भी भाग कर आए जिन्हें देखकर यो लोग भाग गए। जाते समय ये लोग कहकर गए कि हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद प्रार्थी के चाचा का लडका शुभम अपनी गाडी से हम लोगों को सरकारी चिकित्सालय दौसा में लेकर आए जहां हमारा इलाज हुआ और सोनू को जयपुर चिकित्सालय के लिए रैफर कर दिया था। मैं सोनू के साथ जयपुर चला गया वहां उसका इलाज व सिटी स्कैन वगैरह करवाया तथा उसे लाकर दुबारा सरकारी अस्पताल दौसा में भर्ती करवाया है.....आदि।" उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर दौसा द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित कर मुकदमा संख्या– 136/2016 धारा 143, 323, 341, 452 भादंसं में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। प्रकरण में बाद अनुसंधान अभियुक्तगण बाबूलाल उर्फ रामप्रकाश वगैरह के विरूद्ध धारा 143, 323, 341, 324 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र पेश किये गये, जिस पर न्यायालय अभियुक्तगण बाबूलाल उर्फ रामप्रकाश वगैरह के विरूद्ध धारा 143, 323, 341, 324 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. तत्पश्चात् बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 147, 323, 324, 149 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये समझाये गये जिसे सुन व समझकर अभियुक्तगण ने आरापों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने के लिये अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू–1 सोनू, पीडब्ल्यू–2 ओमदेवी, पीडब्ल्यू–3 रतनलाल, पीडब्ल्यू–4 राजेन्द्र, पीडब्ल्यू–5 महेश, पीडब्ल्यू–6 रामभरोसी, पीडब्ल्यू–7 उम्मेद सिंह, पीडब्ल्यू–8 डॉ सतीश खण्डेलवाल, पीडब्ल्यू–9 गोपालाल, पीडब्ल्यू–10 भगवान सिंह को परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–8 को प्रदर्शित कराया गया।

5. इसके पश्चात अभियुक्तगण को धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत परीक्षित कराया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य का गलत होना बताया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी–1 लगायत प्रदर्श डी–3 को प्रदर्शित कराया गया।

6. बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने कथन किया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहों ने अपने न्यायालय बयानों में अभियोजन कहानी का समर्थन किया है तथा गवाह एक–दूसरे की साक्ष्य का समर्थन करते हैं तथा अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1. Appabhai & Anr. Vs. State of Gujarat,
AIR 1988 SC 696

7. इसके विपरीत दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा कि प्रकरण में अभियुक्तगण को गलत रूप से फंसाया गया है वे निर्दोष है एवं प्रकरण में गवाहान की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

8. उभय पक्ष के तकों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया इस प्रकरण के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

(1) क्या दिनांक 23.05.2016 को समय करीब 4 पी.एम. पर मौजा कालाखो में परिवादी महेश कुमार व उसके परिवारजन के साथ मारपीट करने के सामान्य उद्देश्य से अवैध समुह का गठन किया एवं बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया तथा दीगर मुल्जिमान के साथ मिलकर मजरूब कैलाश, रतना, श्रीमती ओम देवी, सोनू, महेश के साथ स्वेच्छया कुन्दालय से मारपीट कर साधारण चोटें कारित की तथा मजरूबा रतना के साथ स्वेच्छया धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की अथवा ऐसा करने में साशय सहयोग किया। इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने धारा 147, 323/149, 324/149 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया?

(2) यदि हाँ तो अभियुक्तगण के लिए उचित दण्ड क्या होगा?

8. अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 23.05.2016 को समय करीब 4 पी.एम. पर मौजा कालाखो में परिवादी महेश कुमार व उसके परिवारजन के साथ मारपीट करने के सामान्य उद्देश्य से अवैध समुह का गठन किया एवं बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया तथा दीगर मुल्जिमान के साथ मिलकर मजरूब कैलाश, रतना, श्रीमती ओम देवी, सोनू, महेश के साथ स्वेच्छया कुन्दालय से मारपीट कर साधारण चोटें कारित की तथा मजरूबा रतना के साथ स्वेच्छया धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की अथवा ऐसा करने में साशय सहयोग किये जाने के आरोप हैं। इस संबंध में प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाहान को परीक्षित कराया गया है।

9. प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू–1 सोनू न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करता है कि दिनांक 22.05.2016 को मेरा भाई बंटू जीप चलाकर घर पर आ रहा था। रामबाबू के मकान के सामने रोड पर एक पानी की बोतल पड़ी हुई थी। जिससे जीप का टायर बोतल पर चढ गया जिससे बोतल टूट गई। जिससे पानी के छींटे उछल कर के रामबाबू के मकान और उसकी दुकान पर लग गए। जिससे हमारे व रामबाबू के आपस में कहासुनी हो गई। और मामला उस समय शांत हो गया। फिर दूसरे दिन दिनांक 23.05.2016 को सुबह के समय मेरे मम्मी पापा हमारे मकान के बरामदे में सो रहे थे। रामबाबू का मकान हमारे घर के सामने ही है। तब रामबाबू पानी की बोतल टूटने की बात को लेकर के बोल रहा था। तभी महेन्द्र, मनीष, रामबाबू, हरिमोहन, बाबूलाल, संतोष लाठी डंडे लेकर के हमारे घर पर आए और मेरे पिताजी कैलाशचंद व मां ओमदेवी के साथ मारपीट करने लग गए। फिर आवाज सुनकर भाग कर मैं और रतन आए। रास्ते मे उक्त लोगों ने हमारे

साथ भी मारपीट करी उन लोगों ने हमारे साथ लाठी, डंड, सरिये से मारपीट करी। मेरे महेन्द्र ने सिर पर डंडे की मारी। और रतन के महेन्द्र ने सरिये की मारी। झगडे मे मेरे माता, पिता, मेरे और रतन के चोट आई। झगडा पानी की बोतल से छींटे उछलने की बात को लेकर हुआ था। मैंने अपनी चोटों का इलाज कराया था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि इस घटना की रिपोर्ट मैंने दर्ज नहीं करवाई थी, इस घटना बाबत 23 तारीख को भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, मेरे खिलाफ भी मुलजिमान ने मुकदमा दर्ज करवाया था, हमारे खिलाफ मुकदमे में ग्राम न्यायालय दौसा द्वारा मुझे दोषी माना गया है और मुझ पर 200 रूपये का जुर्माना किया गया है और एक साल के लिए शांति बनाये रखने के लिए पाबंद किया गया है। मैं थाने पर रिपोर्ट लिखाने साथ में नहीं गया था। रिपोर्ट किसने लिखवाई, क्या लिखवाई, मुझे पता नहीं है। मेरे पुलिस में बयान नहीं हुए थे। पुलिस ने मेरा बयान लिखा है तो मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिए। पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 पर ए से बी मैंने पुलिस को नहीं दिया। यह सही है कि दिनांक 23.05.2016 को मेरे चोटें लगी हो उस संबंध में 23.05.2016 से लेकर 25.05.2016 तक कोई इलाज का कागज पत्रावली पर नहीं है।

10. गवाह पीडब्ल्यू–2 ओमदेवी न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करती है कि दिनांक 22.05.2016 को मेरा बेटा बंटू जीप चलाकर घर पर आ रहा था। रामबाबू के मकान के सामने रोड पर एक पानी की बोतल पड़ी हुई थी। जिससे जीप का टायर बोतल पर चढ़ गया जिससे बोतल टूट गई। जिससे पानी के छींटे उछल करके रामबाबू के मकान और उसकी दुकान पर लग गए। जिससे हमारे व रामबाबू के आपस मे कहासुनी हो गई और मामला उस समय शांत हो गया। फिर दूसरे दिन दिनांक 23.05.2016 को सुबह के समय मैं व मेरा पति कैलाश हमारे मकान के बरामदे में सो रहे थे। रामबाबू का मकान हमारे घर के सामने ही है। तब रामबाबू पानी की बोतल टूटने की बात को लेकर के बोल रहा था। तभी महेन्द्र, मनीष, रामबाबू, हरिमोहन, बाबूलाल, संतोष लाठी डंडे लेकर के हमारे घर पर आए और मेरे पति कैलाशचंद व मेरे के साथ मारपीट करने लग गए। बाबूलाल ने मेरे लात मारी थी। फिर आवाज सुनकर भाग कर मेरे बेटा सोनू और मेरी बहन का लडका रतन आए। उक्त लोगों ने उन दोनों के साथी भी मारपीट करी उन लोगों ने हमारे साथ लाठी, डंड, सरिये से मारपीट करी। सोनू के महेन्द्र ने सिर पर डंडे की मारी। और रतन के महेन्द्र ने सरिये की मारी। झगडे में मेरे, मेरे पति कैलाश और बेटे सोनू और रतन के चोटें आई। झगडा पानी की बोतल से छींटे उछलने की बात को लेकर हुआ था। मैंने अपनी चोटों का इलाज कराया था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2 है जिस पर एक्स स्थान पर मेरी अंगूठा निशानी है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कहा कि मैं 22 तारीख को मेरे घर पर थी। यह सही है कि दिनांक 22.05.2016 को मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। यह सही है कि हमारे खिलाफ मुलजिमान के साथ मारपीट करने का मुकदमा ग्राम न्यायालय में चला था जिसमें मैं भी मुलजिम थी। यह सही है कि ग्राम न्यायालय द्वारा मुझे दोषी मानकार 200 रूपये जुर्माना लिया था और एक साल के हमको पाबंद किया था। महेश और सोनू झगडे के आधा घंटे बाद आए थे। मेरी तरफ से रिपोर्ट किसने लिखवाई मुझे पता नहीं है। जिस तारीख को मै झगडा होना बता रही हूं उस तारीख को हमने थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं कराई। अगले दिन हमको सुबह यह मालूम चल गया था

कि बाबूलाल वगैरा ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके बाद हमे जैसे ही मालूम चला कि इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है तो हमने भी जाकर मुकदमा दर्ज करा दिया। अगर ये लोग मुकदमा दर्ज नहीं कराते तो हम भी मुकदमा दर्ज नहीं कराते। यह कहना गलत है कि मेरे चोट नहीं थी। यह सही है कि मैंने चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 2 में डॉक्टर को कोई चोटे नहीं बताई। मैंने पुलिस को इस झगडे के संबंध में कोई बयान नहीं दिए। पुलिस बयान प्रदर्श पी–3 का डी–2 का ए से बी भाग मैंने नहीं दिया।

11. गवाह पीडब्ल्यू–3 रतनलाल न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करता है कि मेरे ताउ का लडका बंटू दिनांक 22.05.2016 को शाम को जीप चलाकर घर ला रहा था। रास्ते में रामबाबू के मकान के पास एक प्लास्टिक की पानी की बोतल पड़ी हुई थी जिस पर जीप का टायर चढ़ने से पानी की बोतल फूट गई और उसके छींटे रामबाबू की दुकान में मौजूद लोगों को लग गए। जिस बात को लेकर तूतूमैमै हो गई थी लेकिन झगडा नहीं हुआ था। अगले दिन मेरा ताई ओमदेवी और ताउ कैलाश मकान के आगे खुले बरामदे में सो रहे थे। रामबाबू का लडका महेन्द्र, मनीष, हरिमोहन, संतोष ने लाठी डंडे से आकर मारपीट की। जिसकी आवाज सुनकर मैं, मेरा भाई वहां गए। रास्ते में हमारे साथ में इन्होंने मारपीट की थी। महेन्द्र व मनीष ने मेरे साथ मारपीट की थी मेरे सिर में चोट आई थी। तथा शरीर पर अन्य जगह मेरे चोट आई थी। मेरा चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराया था जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरे सिर का एक्सरे भी हुआ था। घटना की रिपोर्ट मेरे भाई महेश ने दर्ज कराई थी। मेरे ताउ कैलाश की अब मौत हो गई है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कहा कि मैंने इस घटना की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने पर भी नहीं गया। रिपोर्ट कहां टाइप हुई कैसे टाइप हुई किसने टाइप करवाई यह भी नहीं पता। रिपोर्ट टाइप करवाने वाले ने न तो मुझसे कोई बात की न ही मुझसे कोई पूछताछ की। यह बात सही है कि मुलजिमान से मारपीट करने का मुकदमा हमारे खिलाफ ग्राम न्यायालय में चला था। उस मुकदमे में हमने जुर्म स्वीकार किया था और 200–200/– रूपये जुर्माना भी दिया था। यह सही है कि हमारे मुकदमा दर्ज कराने से पहले मुलजिमान ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। यह सही है कि 24 तारीख को हमे सुबह यह मालूम चल गया था कि मुलजिमान ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। मेरे पुलिस में बयान नहीं हुए। अगर पुलिस ने मेरे कोई बयान लिखे हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। पुलिस बयान प्रदर्श डी 3 का ए से बी भाग मैंने पुलिस को दिया या नहीं मुझे ध्यान नहीं है।

12. गवाह पीडब्ल्यू–4 राजेन्द्र न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करता है कि दिनांक 23.05.2016 को बाबूलाल उर्फ रामबाबू, संतोष, हरिमोहन, महेन्द्र, मनीष व एक दो अन्य लोगों ने कैलाश, महेश, रतन, ओम देवी, सोनू वगैरा के साथ मारपीट व लडाई झगडा किया था, जिसका नक्शा मौका पुलिस ने मेरे सामने मौके पर बनाया था। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–4 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि महेश वगैरह मुस्तगीस मेरे परिवार के ही है। जिस जगह नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 बनाया था उस जगह खून फैला हुआ था। यह बात सही है कि नक्शा सडक का बनाया था। यह सही है कि प्रदर्श पी–4 में पुलिस ने सडक पर खून नहीं दिखाया है। प्रदर्श पी–4 पर महेश के घर पर हस्ताक्षर करवाये थे।

13. गवाह पीडब्ल्यू–5 महेश न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करता है कि दिनांक 23.05.2016 की शाम के लगभग 4 बजे की बात है। उस समय मैं अपने माता पिता के साथ घर आया हुआ था। इतने में ही हमारे घर बाबूलाल उर्फ रामबाबू, महेन्द्र, मनीष, संतोष उर्फ सत्यनारायण, विष्णु, हरिमोहन अपने हाथों में लाठी, खरवाडी, कुल्हाडी लेकर आए और आते ही महेन्द्र ने मेरे पिता कैलाशचंद के हाथ पर सरिये की मारी जिससे मेरे पिता का हाथ टूट गया। जब मैं बीच–बचाव करने आया तो हरिमोहन, बाबूलाल ने मेरे सरिये से कमरे व पसलियों पर मारी और मेरी मां ओम देवी के संतोष ने बाल पकडकर खींच कर उन्हें नीचे गिरा दिया और संतोष व अन्य लोगों ने मेरी मां के साथ लाठी, डंडों से मारपीट की। हमारे चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पास के लोग रामभरोसी, रतन, सोनू, उम्मेद सिंह ये लोग आए इन लोगों ने बीच–बचाव कराने की कोशिश की तो इन लोगों ने सोनू और रतन के साथ भी मारपीट की। विष्णु ने मेरे हाथ पर लाठी की मारी जिससे मेरे हाथ पर चोट आई तब आस पास के लोगों ने हमारा बीच–बचाव करवाया। जाते–जाते ये लोग हमें धमकी देकर गए तब मेरे चाचा का लडका व हमने सरकारी अस्पताल दौसा ले गया जहां हमारा इलाज हुआ तब मैने इस घटना की रिपोर्ट सदर दौसा में दर्ज करवाई थी। इस मारपीट में मेरे पिता कैलाश, रतन, सोनू, मेरी मां ओम देवी व मेरे चोटें आई थीं व हमारा मेडिकल व एक्सरे हुआ था। मेरे द्वारा दी गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–6 है जिस पर भी ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–7 है जिस पर भी ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मौके पर मेरे सामने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी–4 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि इसी घटना का मुलजिमान के साथ मारपीट करने का मुकदमा चला था। मुझे यह याद नहीं है कि उस मुकदमे में जुर्म स्वीकार कर जुर्माना करवाया था। प्रदर्श पी–5 कहां टाईप करवाई मुझे याद नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी–5 दौसा कोर्ट में वकील साहब से टाइप करवायी थी। यह सही है कि घटना के अगले दिन शाम 6 बजे यह रिपोर्ट इसलिए टाइप करवाकर थाने पर लेकर गए थे कि मुलजिमान ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। यह बात सही है कि अगर मुलजिमान हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं कराते तो हम भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाते, इसलिए हमारा मेडिकल करवाया। डॉक्टर ने खुद की मर्जी से मेडिकल किया था। यह सही है कि 23 से 26 तक मैंने इलाज के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए। मेरे पुलिस में बयान नहीं हुए। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मेरे से कोई पूछताछ नहीं करी। यह कहना गलत है कि दिनांक 24.05.2016 को पुलिस ने मेरे बयान नहीं लिए हो। दिनांक 25.05.2016 को मेरे कोई बयान नहीं लिए। यह सही है कि आज मैंने प्रदर्श पी–5 पढकर अपनी मुख्य परीक्षा का बयान दिया है यदि मैं यह रिपोर्ट नहीं पढता तो मुझे घटना की कोई याद नहीं थी। यह सही है कि मैंने मुलजिमानो के भी चोट देखी थी।

14. गवाह पीडब्ल्यू–6 रामभरोसी न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करता है कि घटना सन 2016 की है दिन के 11–12 बजे की बात है मैं नाई की दुकान पर कटिंग कराने आया था। कालूराम व बाबूलाल के झगडा हो रहा था झगडा किस बात को लेकर हो रहा था मैं नहीं बता सकता हूँ। झगडा दोनों आपस में कर रहे थे कौन किसको मार रहा था मेरे को पता नहीं है। मैंने कालूराम व बाबूलाल को झगडा करने से रोका

ओर अलग अलग किया फिर वह दोनो शान्त हो गये मैं घर चला गया। कालूराम व बाबूलाल के अलावा 8–10 लोग झगडा करने में शामिल थे जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन किसके मार रहा था। मौके पर कौन कौन लोग छुडाने वाले थे मेरे को पता नहीं है।

15. गवाह पीडब्ल्यू–07 उम्मेद सिंह जो न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करता है कि घटना सन 2016 की है सुबह के 10–11 बजे थें मैं बाजार में सामान लेने गया था तब वहाँ पर कैलाश और रामबाबू के झगडा हो रहा था। दोनों आपस में झगडा कर रहे थे मैं उनको छुडाने गया ओर उनको अलग अलग कर दिया इसके बाद मैं वापस अपने घर आ गया इसके बाद क्या हुआ मेरे को पता नहीं है । मेरे अलावा भी वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिनका नाम नहीं जानता हूँ। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि मैंने किसी के कोई चोट नहीं देखी थी। अन्य लोग थे जिनके नाम मैं नहीं जानता हूँ।

16. गवाह पीडब्ल्यू–08 डॉ सतीश खण्डेलवाल जो न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करता है कि मैं दिनांक 24.05.2016 को जिला अस्पताल दौसा में एमओ के पद पर पदस्थापित था। उस दिन पुलिस थाना सदर दौसा की तहरीरी पर मजरूब कैलाश पुत्र रामधन के शरीर पर आयी चोटो का मेडिकल मुआयना किया था। वह दोंये कंधे पर दर्द बता रहा था तथा कंधे के मूमेंट पर तकलीफ थी। एक्स–रे करवाया गया। जिसमें कोई फैक्चर नहीं था। अतः चोट कुन्द हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–8 है। दिनांक 26.05.2016 को मैंने महेश के शरीर पर आयी चोटो का मेडिकल किया था जिसके निम्न चोटें थीः– चोट नंबर 1 सिर में बॉयी तरफ छोटा सूजननूमा चोट थी। चोट नंबर 2 सीने में बॉयी तरफ खंरोच सहित नीलगु एक गुणा चार सेमी तथा शरीर में जगह जगह चोटे थी। वक्त दोनों ही चोटे सामान्य प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित थी तथा तीन से पाँच दिन पूरानी थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–7 है। दिनांक 25.05.2016 को मैंने श्री सोनू पुत्र कैलाश के शरीर पर आयी चोटो का मेडिकल किया था। जिसके चोट नंबर 1 सिर में दांयी तरफ पांच सेमी टांकेशुदा कुचला हुआ घाव, चोट नंबर 2 दाँये कंधे पर दस गुणा 15 सेमी नीलगु, चोट नंबर 3 दाँये कंधे के उपरी हिस्से में पाँच गुणा पाँच सेमी नीलगु। चोट नंबर 4 दांये कूल्हे पर 8 गुणा 8 सेमी नीलगु। चोट नंबर 5 दाँये पैर के नीचले हिस्से में पाँच गुणा पाँच सेमी नीलगु, चोट नंबर 6 बाँये पैर के नीचले हिस्से में पाँच गुणा पाँच सेमी नीलगु। चोट नंबर 7 दाँये हाथ के सामने वाले हिस्से में तीन गुणा तीन सेमी नीलगु। चोट नंबर 8 आधा गुणा आधा सेमी खरोच जबड़े में बंयी तरफ। उक्त सभी चोटे सामान्य प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित तथा एक से तीन दिन पुरानी थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 है। दिनांक 24.05.2016 को मैंने श्रीमति ओम देवी पत्नी कैलाश चन्द की चोटो का मेडिकल मुआयना किया था। वह अपने शरीर में जगह जगह दर्द बता रही थी किन्तु कोई जाहिरा चोट नहीं थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2 है। दिनांक 24.05.2016 को मैंने श्री रतन पुत्र पूरणमल की चोटो का भी मुआयना किया था। जिसके चोट नंबर 1 सिर में पीछे की ओर 7 सेमी का टांकेशुदा कुचला हुआ घाव। चोट नंबर 2 बांये पैर के उपरी हिस्से में दो गुणा चार सेमी खरोच, चोट नंबर तीन दांयी आंख की भोह पर 3/4 सेमी का टांकेशुदा कटा हुआ घाव, चोट नंबर चार दाँये पैर के घुटने पर एक गुणा डेढ सेमी खंरोच, चोट नंबर 5 बांये हाथ पर आधा गुणा आधा सेमी खरोच, चोट संख्या 1 के लिए एक्स–रे करवाया गया। बाद एक्स–रे

सभी चोटे सामान्य प्रकृति की, चोट संख्या 3 धारदार हथियार से कारित तथा बाकी चारों चोटे कुन्द हथियार से कारित थी। सभी चोटे 6–24 घण्टे के मध्य की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 है। उक्त फर्दों पर गवाह के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि यह बात सही है कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1, पी–2, पी–3, पी–7 व पी–8 अलग अलग दिनांकों के है। यह बात सही है कि पाँचों चोट प्रतिवेदन की तहरीर पत्रावली पर मौजूद नहीं है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–8 में कोई जाहिरा चोट नहीं है जो मजरूब ने बतायी थी उसके आधार पर दर्ज की है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–7 बनाने से पहले मैंने महेश का पुराना ईलाज के दस्तावेज मैंने नहीं देखे थे। प्रदर्श पी–7 की उक्त चोटे गिरने पडने से आ सकती है। प्रदर्श पी–1 बनाने से पहले मैने पुराने ईलाज के दस्तावेज नहीं देखे यह बात सही है। सभी चोटे प्रदर्श पी–1 की गिरने पडने से आ सकती है। प्रदर्श पी–2 कोई जाहिरा चोट नहीं है जो दर्द की शिकायत बतायी वो मजरूब ने बतायी थी। प्रदर्श पी–3 बनाने से पहले पूर्व ईलाज का दस्तावेज मेरे द्वारा नहीं देखा गया। चोट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 गिरने पडने से आ सकती है। चोट नंबर 3 कोई व्यक्ति नुकीली चीज पर गिरे तो उसके आने की सम्भावना है। यह बात सही है कि पाँचो व्यक्तियों में से किसी के भी कोई फैक्चर नहीं था। सभी मजरूबान का जयपुर में करवाये गये ईलाज का कोई दस्तावेज नहीं देखा।

17. गवाह पीडब्ल्यू–9 गोपाल लाल जो न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करता है कि घटना स्थल का नक्शा मौका पुलिस वालो ने बनाया था जो प्रदर्श पी 04 है जिसपर ई से एफ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि यह बात सही है कि नक्शा मौका पर हस्ताक्षर मेरे पुलिस थाना सदर पर बनाया था और मेरे हस्ताक्षर भी वहीं करवाये थे। मैं मौके पर मौजूद नहीं था।

18. गवाह पीडब्ल्यू–10 भगवान सिंह प्रकरण अनुसंधान अधिकारी है, जो मुख्य परीक्षण में स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधान संबंधी साक्ष्य देता है एवं किता की गयी फर्दों की पुष्टि करता है एवं बाद अनुसंधान मुलजिमान के विरूद्ध धारा 143, 323, 341, 324 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित पाया जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि प्रदर्श पी 5 की कार्यवाही पुलिस पर मजरूबान का नाम नहीं है। प्रदर्श पी 05 के साथ कोई भर्ती टिकिट व इलाज का कागज नहीं लिये। मजरूब के कोई गम्भीर चोट नहीं थी इसलिए मैंने भर्ती व इलाज का कागज नहीं लिया। मैंने कोई सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की। यह सही है कि नक्शा मौका की पुस्त पर मैंने यह अंकित किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा खून के निशान लगाये जा सकते है। यह सही है कि घटना के क्रॉस केस 137/16 की जाँच जो अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 452, 504 आईपीसी में दर्ज की थी। यह सही है कि उस क्रोस केस में कैलाश महेश, सोनु, रतन, ओम देवी के विरूद्ध चार्जशीट पेश की गयी थी। यह सही है कि परिवादी ने 24 घण्टे बाद मुकदमा दर्ज करवाया है और देरी का कोई कारण नहीं बताया है। यह कहना सही है कि मेरे को ईलाज के कोई कागज नहीं दिये गये। स्वतंत्र गवाह रामभरोसी व उम्मेद सिंह के बयान लिये गये है। मुझे घटना की जाँच दिनांक 24.05.2016 की शाम को मिली थी जो शाम को 6 बजे बाद मिली। यह सही है कि एमएलसी दिनांक 24.05.2016 को दिन में हो गयी थी जो मेरे द्वारा नहीं करवायी गयी डीओ के द्वारा करवायी गयी थी वो डीओ कौन था मेरी जानकारी में नहीं है। यह कहना है कि मेरे द्वारा डीओ के बयान नहीं लिये गये। यह बात सही है कि डीओ की रवानगी, वापसी का

रोजनामचा भी मैंने प्राप्त नहीं किया। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–3 में यह अंकित नहीं है कि एमएलसी किस एफआईआर के अंदर अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी 03 रतन लाल के 161 सीआरपीसी के बयानो में यह बात अंकित नहीं है कि उसके किसी मुलजिम द्वारा धारदार हथियार से चोट पहुँचायी गयी हो। यह बात सही है कि रतनलाल की मेडिकल रिपोर्ट के आधार मुलजिमान के विरूद्ध 324 आईपीसी की धारा जोड़ी थी। यह बात सही है कि रतनलाल ने अपने साथ धारदार हथियार से चोट किसी के द्वारा नहीं बतायी गयी।

19. पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण करते हैं तो दर्शित होता है कि गवाह पीडब्ल्यू–5 महेश प्रकरण का परिवादी है जो अपने मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 का समर्थन तो करता है, लेकिन उक्त गवाह अपनी जिरह में कथन करता है कि यह सही है कि इसी घटना का मुलजिमान के साथ मारपीट करने का मुकदमा चला था, यह सही है कि घटना के अगले दिन शाम के 6 बजे यह रिपोर्ट इसलिए टाईप करवाकर थाने पर लेकर गये थे कि मुलजिमान ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। यह बात सही है कि अगर मुलजिमान हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराते तो हम भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराते और इसीलिए हमारा मेडिकल हुआ था। डॉक्टर ने खुद की मर्जी से मेडिकल किया था, हमसे नहीं पूछा था। यह सही है कि 23 से 26 तक मैंने इलाज के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। मेरे पुलिस में कोई बयान नहीं हुए हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने मेरे से कोई पूछताछ नहीं की है। इस प्रकार उक्त गवाह अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसने मुकदमा इसलिए दर्ज कराया क्योंकि मुलजिमान ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अगर मुलजिमान मुकदमा दर्ज नहीं कराते तो वह भी मुकदमा दर्ज नहीं कराता। इस गवाह के उक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि गवाह महेश ने उक्त मुकदमा केवल रंजिश के कारण दर्ज कराया है। इसमें अगर मुलजिमान उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराते तो वह भी मुकदमा दर्ज नहीं कराता। गवाह ने अपने पुलिस में बयान होने से इन्कार किया है। जबकि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी भगवान सिंह द्वारा परिवादी व गवाहान के बयान धारा 161 सीआरपीसी के आधार पर ही मुलजिमान के खिलाफ आरोपित अपराध को प्रमाणित मानते हुए चालान न्यायालय में पेश करना बताया है। परिवादी ने अपना डॉक्टर द्वारा अपनी मर्जी से मेडिकल करना बताया है जो कि प्रकरण में सन्देह उत्पन्न करता है। गवाह ने अपने दिनांक 23 से 26 तक इलाज के इलाज के कागजात भी पेश नहीं करना स्वीकार किया है जिससे भी अभियोजन कहानी में सन्देह उत्पन्न होता है।

20. पत्रावली में प्रकरण के स्वयं परिवादी ने तहरीरी रिपोर्ट में घटना दिनांक 23/05/2016 को शाम के 4 बजे की होनी बतायी है जबकि परिवादी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 24/05/2016 को 05.50 पीएम पर दर्ज करायी है जो कि 24 घण्टे की देरी से दर्ज करायी है जिसको देरी से दर्ज कराने का भी कोई कारण परिवादी ने अपने बयानों में नहीं बताया है। इस प्रकार परिवादी के कथनों से यह प्रकट होता है कि उसने मुलजिमान के खिलाफ रिपोर्ट केवल इसलिए दर्ज करायी थी क्योंकि मुलजिमान ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी थी। परिवादी के उक्त कथनों से परिवादी की मुख्य परीक्षा को समर्थन नहीं मिलता है जिससे भी अभियोजन कहानी में सन्देह उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त गवाह

पीडब्ल्यू–2 ओमवती, पीडब्ल्यू–3 रतनलाल ने अपने बयानों में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ मुलजिमान ने मुकदमा दर्ज कराया था इसलिए उन्होंने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मुलजिमान मुकदमा दर्ज नहीं कराते तो वे भी मुकदमा दर्ज नहीं कराते। उक्त गवाहान के उपरोक्त कथनों से भी यह प्रकट होता है कि परिवादी ने मुलजिमान के खिलाफ केवल रंजिश के कारण मुकदमा दर्ज कराया है जो कि अभियोजन कहानी में सन्देह उत्पन्न करता है।

21. इसके अलावा गवाह ओमवती पीडब्ल्यू–2 दिनांक 23/05/2016 को सुबह की घटना होना बताती है, जबकि परिवादी व उसकी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 के अनुसार घटना दिनांक 23/05/2016 को शाम के 4 बजे की होना प्रकट होती है। ऐसे में गवाह ओमवती के बयानों से अभियोजन कहानी में सन्देह उत्पन्न होता है। गवाह पीडब्ल्यू–3 रतनलाल अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी–3 के ए से बी भाग को पुलिस को दिया या नहीं दिया है उसके संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करता है तथा पुलिस में बयान होने से इन्कार करता है। गवाह ने अपने बयानों में कहीं पर भी मुलजिमान के द्वारा धारदार हथियार से मारपीट करना नहीं बताया है जबिक अनुसंधान अधिकारी ने मजरूब रतनलाल की चोटों के आधार पर ही प्रकरण में धारा 324 भारतीय दंड संहिता जोडना बताया है। गवाह ने अपने बयानों में मुख्य परीक्षा का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। उक्त गवाह के कथनों से भी अभियोजन कहानी संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है।

22. गवाह पी.डब्ल्यू.–1 सोनू ने अपने बयानों में स्वीकार किया कि उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। रिपोर्ट किसने लिखवाई, क्या लिखवाई, उसे पता नहीं है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिये। पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं दिया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि दिनांक 23/05/2016 की घटना में लगी फोटो के संबंध में दिनांक 23/05/2016 से 25/05/2016 मे इलाज में कोई कागज पेश नहीं किये हैं। गवाह के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानों के आधार पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिमान के खिलाफ अपराध प्रमाणित माना है। गवाह ने उक्त धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानों को पुलिस को देने से इंकार किया है, जो अभियोजन कहानी में संदेह उत्पन्न करता है। गवाह ने अपने खिलाफ क्रॉस मुकदमा होना भी स्वीकार किया है। गवाह सोनू के बयानों से भी अभियोजन कहानी संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है। गवाह पी.डब्ल्यू.–04 राजेन्द्र नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 का गवाह है, जो नक्शा मौका सडक का होना बताता है जबकि गवाह महेश, सोनू व ओमवती ने घटना घर पर होना बताई है। गवाह ने घर का नकशा मौका बनाने बाबत कोई कथन नहीं किया है। अतः उक्त गवाह के कथनों से नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 की ताईद संदेह से परे नहीं होती है।

23. इसके अलावा गवाह पी.डब्ल्यू.–06 रामभरोसी अपनों बयानों में कालूराम व बाबूलाल के बीच झगडा होना बताता है। गवाह साथ में कथन करता है कि कौन, किसको मार रहा था, उसे पता नहीं है। कौन–कौन छुडाने आये थे, उसे पता नहीं है। इस प्रकार गवाहों के द्वारा पूर्ण रूप से अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है, जिससे अभियोजन कहानी में संदेह उत्पन्न होता है। गवाह उम्मेदी सिंह के द्वारा अपने बयानों में झगडा कैलाश व रामबाबू के बीच होना बताया है तथा गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके किसी के कोई चोट

नहीं देखी है। इस प्रकार उक्त गवाह के द्वारा भी अभियोजन कहानी की ताईद संदेह से परे नहीं की है।

24. गवाह पी.डब्ल्यू.–08 डॉ. सतीश खंडेलवाल है, जो मेडिकल ज्यूरिष्ठ है, जिसने मुख्य परीक्षण में सभी मजरूबान की एमएलसी करना बताया है। उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1, प्रदर्श पी 2, प्रदर्श पी 3, प्रदर्श पी 7 व प्रदर्श पी 8 अलग–अलग दिनांकों के हैं। जब सभी मजरूबान को एक ही घटना में चोटों आना बताया गया है, तो उनका चोट प्रतिवेदन अलग–अलग दिनांकों पर क्यों बनाया गया है, इस संबंध में अभियोजन पक्ष के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने मजरूबान का जयपुर में करवाये गये इलाज का कोई दस्तावेज नहीं देखा और ना ही पत्रावली पर मजरूबान ने एमएलसी से पूर्व के इलाज के कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद है। इस प्रकार मजरूबान की मेडिकल रिपोर्ट भी अभियोजन कहानी को समर्थन नहीं कर रही है। गवाह पी.डब्ल्यू.–09 गोपाल लाल नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 का गवाह है, जो उक्त को थाना सदर पर बनाना व वहीं पर अपने हस्ताक्षर करना कहता है, जिससे नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 की ताईद संदेह से परे नहीं होती है। गवाह पी.डब्ल्यू.–10 भगवान सिंह प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, जो प्रकरण में अनुसंधान करना कहता है। उक्त गवाह जिरह कथन करता है कि उसे जांच दिनांक 24/05/2016 को शाम को मिली थी, जो शाम 6.00 बजे बाद मिली थी। एमएलसी दिनांक 24/05/2016 को दिन में हो गई थी, जो उसने नहीं करायी थी। मजरूबान की एमएलसी किसने करायी, इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि रतनलाल की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुलजिमान के विरुद्ध धारा 324 भारतीय दंड संहिता की धारा जोडी थी। यह बात सही है कि रतनलाल ने अपने साथ धारदार हथियार से चोट किसी के द्वारा नहीं बतायी गयी। इस जब किसी भी गवाह द्वारा मारपीट धारदार हथियार से करना नहीं बताया है। अनुसंधान अधिकारी के द्वारा किस आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 324 भारतीय दंड संहिता जोडी है, इस संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी के बयानों से भी अभियोजन को कोई समर्थन नहीं मिलता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष के द्वारा जो भी साक्ष्य पत्रावली पर पेश की गई, उससे आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियोजन पक्ष अपनी संपूर्ण साक्ष्य से आरोपीगण बाबूलाल उर्फ रामबाबू, मनीष कुमार, महेन्द्र व संतोष उर्फ सत्यनारायण के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 147, 323/149, 324/149 भारतीय दंड संहिता को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

<u>आदेश</u>

25. अतः अभियुक्तगण **बाबूलाल उर्फ रामबाबू** पुत्र जौहरीलाल, उम्र 67 साल, **हरिमोहन** पुत्र जौहरीलाल, उम्र 64 साल, **मनीष कुमार** पुत्र बाबूलाल उर्फ रामबाबू, उम्र 33 साल, **महेन्द्र** पुत्र बाबूलाल उर्फ रामबाबू, उम्र 45 साल, **संतोष उर्फ सत्यनारायण** पुत्र बाबूलाल उर्फ रामबाबू, उम्र 45 साल, निवासीगण कालाखो, पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा को अंतर्गत अपराध धारा 147, 323/149, 324/149 भारतीय दण्ड संहिता के

अपराधों के आरोप से सन्देह के आधार पर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। उक्त अभियुक्तगण की उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत–मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

26. धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त 06 माह की अवधि में अपीलीय न्यायालय में तलब करने पर उपस्थित रहने के लिये दस हजार रूपये की जमानत व इतनी ही राशि के स्वयं के बन्ध पत्र प्रस्तुत करे।

27. प्रकरण में यदि कोई माल जब्त हो तो बाद गुजरने मियाद अपील अवधि उसका नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावे।

(सीमा करोल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
दौसा, जिला दौसा(राज०)

28. निर्णय आज दिनांक 25/03/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा करोल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
दौसा, जिला दौसा(राज०)